

वर्तमान दौर में 'कृषि लागत' की वृद्धि और लाभ में कमी

कुँवर भास्कर परिहार

एम.ए. राजनीति विज्ञान

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर

किसानों का समस्याग्रस्त होना समाज और अर्थव्यवस्था के लिए बाधक और चिन्ताजनक है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यदि एक किसान आत्महत्या करता है, तो एक नौजवान, एक मकान, एक परिवार एवं एक मशहूर कलाकार आत्महत्या करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं विद्यमान हैं। लेकिन वर्तमान में किसानों की आत्महत्या की समस्या देश की एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है, जो न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचा रही है, बल्कि मानव विकास में एक बड़ी बाधा के रूप में बनी हुई है।

भारत की 70 प्रतिशत किसी न किसी रूप में कृषि से जुड़ी है, परन्तु यह तथ्य भी बहुत आश्चर्यचकित करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में किसान रोजाना 'आत्महत्या' के शिकार हो रहे हैं। यह घटनाएं वर्ष 2017 में अपने क्रम में वृद्धि कर रही हैं। वर्ष 2017 के संसद के मानसून सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को संसद कार्यवाही के केन्द्र में रखा गया। परन्तु यह किसानों की समस्या का हल नहीं है।

स्वतंत्र भारत के पश्चात एक दीर्घ अवधि व्यतीत करने के बाद भी किसानों की दशा में केवल नाम मात्र का ही अन्तर दृष्टिगत होता है, जिसे अंगुलियों पर आसानी से गिना जा सकता है। ऐसी कौन-सी समस्याएं हैं जो किसानों की सुदृढ़ स्थिति का सपना कभी पूरा नहीं होने देते हैं।

भारतीय किसानों की समस्याएं अथवा बाधाएं

देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और वह कृषि पर ही निर्भर हैं ऐसे में किसानों की खुशहाली की बात सभी (सरकार, पंचायती शासन व्यवस्था, वाणिज्यिक एवं व्यापारिक संस्थाएं) करते हैं और उनके लिये योजनाएं भी बनाते हैं, किन्तु उनकी मूलभूत समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं: जैसे

कृषि शिक्षा का अभाव

भारत के कृषि जगत में कृषि शिक्षा के विश्वविद्यालय और कॉलेज नाम—मात्र के हैं, उनमें भी गुणवत्तापरक शिक्षा का अभाव है, शोध संस्थानों का पूर्णतया अभाव है, गुणवत्तापरक शिक्षकों का अभाव है, जिसके कारण कृषि में होने वाले क्रान्तिकारी परिवर्तनों का प्रयास सफल हो ही नहीं पाता है। इसके साथ ही सिंचाई, बीज, प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में नवाचार की अनुपस्थिति रहती है।

भूमि एवं फसल प्रबन्धन की समस्या

स्वतंत्रता के पश्चात भूमि जोतों का निर्धारण तो हुआ (चकबन्दी, हदबन्दी आदि) परन्तु भूमि एवं फसल प्रबन्धन के विषय पर कभी भी चर्चा को महत्व नहीं दिया गया। इसके साथ तदर्थ आधार पर यदि नीतियों का निर्धारण किया भी जाता है तो निर्धारक ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिन्हें इस क्षेत्र की कोई जानकारी भी नहीं होती।

राष्ट्रीय स्तर पर यह नीति बनाई जानी चाहिए कि देश के अन्दर विभिन्न ज़िंसों की कितनी खपत है और वह किस क्षेत्र में है, इसके अतिरिक्त भविष्य के लिए कितने भण्डारण की आवश्यकता है?

भूमि अधिग्रहण नीति

केन्द्र/राज्य सरकारों अथवा राज्यान्तर्गत गठित विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि अधिग्रहण की नीति में कृषि योग्य भूमि के मद्देनजर परिवर्तन किया जाना परमावश्यक है। औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना विकास व आवासीय योजनाओं हेतु ऐसी भूमि का अधिकरण किया जाना चाहिए जो कृषि योग्य नहीं है। आवासीय औद्योगिक एवं ढांचागत निर्माणों के लिये कृषि योग्य भूमि अत्यधिक संकुचित होती चली जायेगी जो तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण—पोषण हेतु कृषि उत्पादन के लिए अपर्याप्त हो रही है।

साख प्रबन्धन/ऋण की समस्या

‘किसान आत्महत्या’ घटनाक्रम का प्रमुख कारण साख व्यवस्था दो प्रकार की होती है—अल्पाकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार का विशेष ध्यान रहता है, परन्तु दीर्घकालीन ऋणों में किसान की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।

दीर्घकालीन ऋणों की ब्याज दरें अल्पकालीन ऋण की तुलना में अधिक हैं। परियोजना आधारित ऋण वितरित किया जाता है लेकिन किसान की अन्य आवश्यकताओं के लिए ऋणों का कोई प्रावधान

दीर्घकालीन व्यवस्था में नहीं है। इसी के साथ साहुकारों के ऋण दुष्क्र की व्यवस्थाओं से आप भली-भांति परिचित हैं।

क्रय-विक्रय की समस्या

किसानों की प्रमुख समस्या क्रय-विक्र की समस्या भी है जब कृषि बाजार में आता है तो उसके मूल्य निरन्तर गिरने लगते हैं। मध्यस्थ सस्ती दरों पर उसका माल क्रय कर लेते हैं जिससे कृषि घाटे का व्यवसाय बना हुआ है। दुर्भाग्य है कि सम्बन्धित लोग औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन की दरें लागत, मांग और पूर्ति ध्यान में रखते हुए निर्धारित करते हैं। किन्तु किसान की जिंसी का मूल्य या तो सरकार या क्रेता द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसमें भी तत्काल नष्ट होने वाले उत्पाद की बिक्री के समय किसान असहाय दिखाई देता है। उत्पाद मूल्य के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सूचना विभाग भी जिम्मेदार है। वर्तमान समय में किसानों के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो यह तय कर सके कि उसके उत्पाद का उचित मूल्य किस बाजार में क्या है और भविष्य में मूल्य घटने-बढ़ने की क्या सम्भावनाएं हैं।

सरकारी योजनाओं में तकनीकी दांव-पेच अधिक

- किसानों की समस्या के विषय जब 'लोन' एवं 'किसान डिफाल्टर' की बात की जाती है एवं इससे आहत होकर किसान आत्महत्या कर लेता है, यह सरकारी योजनाओं की विफलता है। सरकारी योजनाओं में इस कदर तकनीकी दांव-पेच है वह इसे समझ ही नहीं पाता है। जैसे-यदि किसान को ऋण दिया जाता है तो पहले उसका फसल बीमा होगा ऐसे में किसान डिफाल्टर कैसे होगा? अगर फसल बर्बाद होती है तो ऋण चुकाने का उत्तरदायित्व बीमा कम्पनियों का होगा।
- उपरोक्त के अलावा समस्या यह भी है कि बैंक योजनाओं को लेकर किसानों तक नहीं पहुंच पाते एवं ऐसे में किसान बिचौलियों के चुंगल में फंस जाते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

किसानों की फसल के सम्बन्ध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए 13 जनवरी, 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारम्भ किया गया जोकि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का रूपान्तरित रूप है।

सीमाएं

- किसानों द्वारा प्रीमियम भुगतान में देरी।
- किसानों को बीमा राशि की प्राप्ति में देरी।

□ बीमांकिकीय प्रीमियमों का भुगतान निपटारा मुद्दों में देरी।

असफल कृषि कल्याण योजनाएं

आत्महत्या किसानों को कृषि समस्याओं से निजात पाने का एकमात्र उपाय दिखाई पड़ रहा है जोकि किसी भी देश का अन्धकारमय पहलू है। हालांकि कृषि एवं किसानों की समस्याओं को हल करने लिये महत्वपूर्ण योजनाएं भी बनाई गई हैं परन्तु वह भी अपने लक्ष्यों में पूर्ण रूप में सफल नहीं है; जैसे

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015 में प्रारम्भ की गई, जिसके प्रमुख उद्देश्य थे—जमीनी स्तर पर सिंचाई में निवेशों को समन्वित करना, कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार, पानी का अपव्यय कम करना तथा सतत जल संरक्षण आदि।

सीमाएं

- सीमान्त क्षेत्रों तक इसी पहुंच नहीं।
- निवेश की अत्यन्त कमी।
- निगरानी एवं प्रशासनिक स्तर पर उत्तरदायित्व का अभाव
- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2015–16 के दौरान केवल 33 प्रतिशत खेतों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई।

कृषि ऋण योजना

इस योजना के तहत विविध ऋण योजनाओं की सुविधायें किसानों को दी जाती हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ऋणों में विभाजित किया जाता है। ग्रामीण बैंक की स्थापना भी इसी योजना के उद्देश्य से की गई थी। योजना के माध्यम से लघु एवं सीमान्त कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को ऋण प्रदान किया जाता है।

सीमाएं व्यावसायिक बैंको द्वारा अपनी ऋण नीतियां इस प्रकार नहीं बनाई गई थीं जिससे कृषि क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध हो।

- कर्ज/ऋण माफी के लिये बैंकों का कोई उदार प्रावधान भी नहीं है। उनका मानना है इससे राजकोषीय घाटों में वृद्धि होगी।
- कर्ज माफी की योजनाएं केवल राज्य स्तर पर ही लागू होती हैं।

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) योजना

वर्ष 2015 में किसानों को उनकी उपज के अच्छे मूल्य प्राप्त कराने के लिये इस योजना का शुभारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य मार्च, 2018 तक देश की 585 नियन्त्रित मण्डियों को सामान्य ई-मार्केट प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ना है।

सीमाएं

- शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षणों का अभाव
- किसानों को कोई प्रशिक्षण सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं।
- दलालों/मध्यस्थों की भूमिका में कोई कमी नहीं आ रही है।

परम्परागत कृषि विकास योजना

वर्ष 2015 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना का शुभारम्भ किया गया है, इस योजना के तहत मनरेगा के अन्तर्गत जैविक खाद के लिये 10 लाख वानस्पतिक खाद्य की दवाइयां तैयार की गई हैं। नीम कोटेड यूरिया भी इसी योजना का भाग है।

सीमाएं

- जैविक कृषि की पहुंच अभी तक आम किसानों तक सम्भव नहीं।
- जैविक खाद्य की उपलब्धता में कमी।
- जैविक कृषि हेतु राष्ट्रीय नीति का अभाव।
- कृषि शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में जैविक कृषि को महत्ता नहीं।

सरकारी प्रयास/योजनागत प्रयास

किसानों की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। हालांकि उल्लेखित सरकारी योजनाएं पूर्ण रूप में सफल नहीं हो पा रही हैं इसके बावजूद सरकारी प्रयास इस समस्या के समाधान हेतु अग्रसर हैं; जैसे

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
- प्रत्येक खेत को पानी
- जैविक खेती हेतु सब्सिडी आर्थिक सहायता
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा
- कोल्ड चेन परियोजना एवं सम्पदा योजना (खाद्य प्रसंस्करण हेतु)
- मेगा फूड पार्कों (17) की स्थापना

- आधुनिक खेती के लिये किसानों को उपकरण योजना
- मॉडल कृषि लैण्ड लीजिंग ऐक्ट (नीति आयोग द्वारा)
- ई-नाम एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा गया ताकि क्षेत्र की उत्पादकता अनुसार फसलों का मुल्य तय करने में आसानी हो।

किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति

किसानों के समक्ष अनेक समस्याएं विद्यमान हैं। उल्लेखित समस्याओं के अलावा किसानों की आत्महत्या के प्रमुख कारण खराब मानसून, कर्ज का बढ़ता बोझ, कम पैदावार, फसलों की कम कीमत, भू-जन का गिरता स्तर, प्रतिकूल आर्थिक नीतियां; जैसे-टैक्स, गैर-कृषि ऋण और आयात-निर्यात की अनुचित कीमतें भी हैं। 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' ने इसे देश की सबसे बड़ी समस्या बताया है।

सीन	राज्य	आत्महत्या की संख्या
प्रथम	महाराष्ट्र	4291
द्वितीय	कर्नाटक	1569
तृतीय	तेलंगाना	1400
चतुर्थ	मध्य प्रदेश	1290
पंचम	छत्तीसगढ़	954

राष्ट्रीय अपराध (आकड़े) रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 नोट वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्तर पर किसान आत्महत्या में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे किसानों एवं खेतिहर मजदूरों की आत्महत्या में 2 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

योजनाओं को सफल बनाने की सम्भावनाएं

यदि कृषिगत योजनाओं को सफल बनाकर किसानों की समस्या को समाप्त करना है तो निम्न बिन्दुओं पर विचार करना जरूरी है।

- निम्नस्तर से यदि प्रारम्भ करें तो कृषि शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए और प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं में न्यूनतम माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा अवश्य होनी चाहिए।
- कृषि संस्थानों को ऐसे बीजों की खोज करनी चाहिए जिनकी उत्पादकता अधिक हो, परन्तु

किसानों को प्रत्येक बाजार से नये बीज नहीं खरीदने पड़े एवं किसान अपने पास अगली फसल के लिए बीज का भी सुरक्षित भण्डार भी कर सकें।

- भूमि एवं फसल प्रबन्धन हेतु, जिंसवार उत्पादन की व्यवस्था क्षेत्रीय आधार पर करनी चाहिए एवं सम्बन्धित किसानों को इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए।
- किसानों हेतु अच्छी प्रजाति के बीजों की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए और जो खेत चिन्हित किये जायें, उन्हें ये बीज उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
- फसल की बुवाई के समय कृषि क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ अपनी देख-रेख में बुवाई करायें तथा उन पर होने वाली बीमारियों, आवश्यक उर्वरकों, सिंचाई, निराई, गुड़ाई आदि कार्य आवश्यकतानुसार समय-समय पर कृषि विशेषज्ञों के निर्देशन में कराया जाये। इससे उत्पादन बढ़ेगा और किसान भी व्यावहारिक दृष्टि से प्रशिक्षित होंगे।
- किसानों की समस्या व्यक्तिगत स्तर से प्रारम्भ होकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचती है अतः इसके लिये स्थानीय स्तर पर किसानों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए।
- न्याय पंचायत अथवा ग्रामसभा स्तर पर एक कृषि केन्द्र होना चाहिए, जहाँ ग्रामीण कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित आवासीय सुविधाओं के साथ कार्यालय में कार्य कर सकें। यहाँ एक सहकारी समिति भी होनी चाहिए अथवा कृषि सहकारी समिति का विक्रय केन्द्र होना चाहिए जिस पर कृषि मानकों के अनुरूप बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि की व्यवस्था कराई जाये, जो किसानों को ऋण के रूप में उपलब्ध हो।
- कृषि में जो भी फसल बोई जायें, उस फसल को सहकारी समिति के माध्यम से बीमाकृत कराया जाये।
- बीमा कम्पनियों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही कृषि अन्तराल के दौरान कृषकों के निर्वाह हेतु 'कृषक बीमा योजना' का भी प्रारम्भ किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित ऐसे उद्योग धन्धों की स्थापना की जानी चाहिए जिनमें न्यूनतम प्रशिक्षण से स्थानीय आबादी के व्यक्तियों को रोजगार मिल सके तथा किसानों के उत्पाद की खपत भी आसानी से हो सके।

यदि उल्लेखित सभी बिन्दुओं को कृषि क्षेत्र में अपना लिया जाता है तो वह दिन दूर नहीं होगा जब 'किसान की आत्महत्या' की खबर नहीं, बल्कि 'किसान विकास' की खबरें प्रकाश में होंगी। हालांकि सरकार की ओर से कुछ प्रयास भी किये जा रहे हैं जिनका विस्तार आगे है। इस तथ्य में कोई सन्देह नहीं है कि सरकारी योजनायें असफल हो रही हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भी केन्द्र को नसीहत देते हुआ कहा कि "किसान की आत्महत्या के बाद मुआवजा देना समस्या का हल नहीं है।

सरकार को लोन प्रभाव को कम करने की आवश्यकता है।" किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यदि यह जीर्ण अवस्था में पहुंचेगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था गर्त की ओर अग्रसर होती चली जायेगी।

References

Das, A. (2011), Farmers' suicide in India: implications for public mental health, *International Journal of Social Psychiatry*, 57(1), 21–29

Staff, India Brand Equity Foundation Agriculture and Food in India Accessed 7 May 2013

"Rapid growth of select Asian economies". Food and Agriculture Organisation of the United Nations. 2009.

Central Institute of Fisheries Technology, India. 2008. Archived from the original on 1 July 2013.

"Handbook of Statistics on Indian Economy". Reserve Bank of India: India's Central Bank. 2011.

Lal, R. (August 2001). "Thematic evolution of ISTRO: transition in scientific issues and research focus from 1955 to 2000". *Soil and Tillage Research*. 61 (1–2): 3–12 [3].

Iqtidar Husain Siddiqui, "Water Works and Irrigation System in India during Pre-Mughal Times", *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. 29, No. 1 (Feb., 1986), pp. 52–77.

"Brief history of wheat improvement in India". Directorate of Wheat Research, ICAR India. 2011

"PM Modi: Target to double farmers' income by 2022", *The Indian Express*, 28 February 2016

Schurman, R. (2013), Shadow space: suicides and the predicament of rural India, *Journal of Peasant Studies*, 40(3), 597–601



Gruère, G. & Sengupta, D. (2011), Bt cotton and farmer suicides in India: an evidence-based assessment, *The Journal of Development Studies*, 47(2), 316–337

Sankaran, S. "28". *Indian Economy: Problems, Policies and Development*. pp. 492–493

Chauhan, Chetan (1 April 2014). "UN climate panel warns India of severe food, water shortage". www.hindustantimes.com. *Hindustan Times*. Retrieved 31 March 2014

National Water Development Agency Ministry of Water Resources, Govt of India (2014)

Adam Cagliarini and Anthony Rush (June 2011). "Bulletin: Economic Development and Agriculture in India"